राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–89 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री रामाशीष महतो, द्वारा–श्री श्रवण कुमार शर्मा, संत पॉल स्कूल से सीधे पश्चिम एवं डॉ॰ शिव कुमार सिंह के नया मकान से उत्तर विवेक बिहार, जिला–समस्तीपुर, पिन–848101

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.02.2023	श्री रामाशीष महतो द्वारा–श्री श्रवण कुमार शर्मा, संत पॉल स्कूल से सीधे पश्चिम एवं डॉ॰ शिव कुमार सिंह के नया मकान से उत्तर विवेक बिहार, जिला–समस्तीपुर, पिन–848101 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–31.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक–03.02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 407988 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रामाशीष महतो ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–01.01.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना/निर्णय नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–01.01.2023 की प्रति संलग्न नहीं किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–01.01.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–27.02.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 6/2/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–89 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.02.2023	दिनांक–06.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री रामाशीष महतो द्वारा–श्री श्रवण कुमार शर्मा, संत पॉल स्कूल से सीधे पश्चिम एवं डॉ॰ शिव कुमार सिंह के नया मकान से उत्तर विवेक बिहार, जिला–समस्तीपुर, पिन–848101 से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक–01.01.2023, राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक–06.01.2023 को प्राप्त हुआ है। प्रपत्र 'क' दिनांक–01.01.2023 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस आशय की सूचना की मांग की गई थी कि उनके द्वारा दिनांक–11.10.2022 को दिये गए आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। उपर्युक्त के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक–19 दिनांक– 21.02.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि उन्होंने उक्त आवेदन को लोक सूचना पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी प्रेषित किया गया है। अपीलार्थी श्री रामाशीष महतो ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील सूचना / निर्णय से उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया था। अतः प्रपत्र 'क' दिनांक–01.01.2023 तथा लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अवलोकन के उपरांत यह प्रतीत होता है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने अपीलार्थी के आवेदन को पथ निर्माण विभाग की जगह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया है। उपर्युक्त के क्रम में निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन को पथ निर्माण विभाग को भेजते हुए इसकी सूचना अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति एक सप्ताह के अन्दर दें। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/2/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	